प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2019**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 1143/ मु0म0प्र0 (वित्त) /निधि-।।/ आय-व्ययक/ 2019-20/ 374, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रूपये 1010,00,00,000/- (रूपये एक हजार दस करोड़ मात्र) को शासनादेश संख्या-58/2019/784/24-1-19-784(बजट)/2019, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 द्वारा माह अप्रैल, 2019 से माह फरवरी, 2020 तक धनराशि रूपये 80,00,00,000/- (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) की ग्यारह समान मासिक किश्तों में तथा 12वीं एवं अन्तिम किश्त के रूप में माह मार्च, 2020 में धनराशि रूपये 130,00,00,000/- (रूपये एक सौ तीस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुन: स्वीकृत धनराशि में से माह अप्रैल, एवं मई, 2019 में धनराशि रूपये 160,00,00,000/- (रूपये एक सौ साठ करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त शासनादेश संख्या-69/2019/973/24-1-19-784(बजट)/2019, दिनांक 09 मई, 2019 द्वारा अवशेष धनराशि रूपये 850,00,00,000/- (रूपये आठ सौ पचास करोड़ मात्र) में से माह मई, 2019 में धनराशि रूपये 75,00,00,000/- (रूपये पचहत्तर करोड़ मात्र) तथा उसके उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 775,00,00,000/- (रूपये सात सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) को माह जून, 2019 से माह मार्च, 2020 तक धनराशि रूपये 77,50,00,000/- (रूपये सतहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र) की दस समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से धनराशि रूपये 545,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ पैंतालिस करोड़ मात्र) आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि रूपये 465,00,00,000/- (रूपये चार सौ पैंसठ करोड़ मात्र) में से माह सितम्बर, 2019 में धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) तथा अवशेष धनराशि रूपये 165,00,00,000/- (रूपये एक सौ पैंसठ करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2019 से माह दिसम्बर, 2019 तक धनराशि रूपये 55,00,00,000/- (रूपये पचपन करोड़ मात्र) की तीन समान मासिक किश्तों में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

3- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2019 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 03- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 274 /दस-2019, दिनांक 13 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

संख्या-107/2019/2011(1)/24-1-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- समाज कल्याण विभाग (कल्याण प्रकोष्ठ) उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ) उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

महावीर प्रसाद गौतम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in